



2026:AHC:66510

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या -

2465 वर्ष 2026

सौरभ शर्मा आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: वेद प्रकाश पांडे, विनय कृष्ण पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 73

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

1. प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत आवेदन आवेदक - सौरभ शर्मा को अपराध संख्या-328 वर्ष 2024 में धारा 147, 148, 452, 354-खा, 307, 504, 506, 427 भ०द०वि०, थाना-कांठ, जिला -शाहजहांपुर के तहत अग्रिम ज़मानत देने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
2. आवेदक के साथ-साथ अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इससे पहले सह-आरोपी अरविंद कुमार शर्मा को दिनांक 12.9.2024 के आदेश द्वारा अग्रिम ज़मानत दी गई थी। इसके बाद, आवेदक को धारा 147, 148, 452, 354-ए, 307, 504, 506, 427 भ०द०वि० के तहत दिनांक 13.11.2024 के आदेश द्वारा अग्रिम ज़मानत भी दी गई थी। इसके बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और आवेदक पर भ०द०वि० की धारा 354ए के स्थान पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आवेदक के खिलाफ कोई नई सामग्री पेश नहीं की गई है। आरोप सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति के हैं और जहां तक धारा 354-ख का संबंध है, आवेदक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। सह-आरोपी बघेल शर्मा ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 4.2.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत भी दी है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत पर बढ़ाया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा। आवेदक को किसी भी समय पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया लेकिन तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विवाद नहीं किया।

5. अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि विचाराधीन अपराध का बड़े पैमाने पर समाज पर प्रभाव पड़ेगा। यह नहीं दिखाया गया है कि कार्य से समाज को नुकसान होता है। आरोप व्यक्तियों के बीच विवाद से उत्पन्न होते हैं। अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि आरोपों की प्रकृति और गंभीरता ऐसी है कि वही आवेदक को अग्रिम जमानत की राहत के लिए अयोग्य बना देगा। अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस बात पर चिंता नहीं जताई है कि आवेदक को अग्रिम जमानत दिए जाने की स्थिति में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा किया जाएगा। अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा राज्य के लिए कोई सामग्री, तथ्य, परिस्थितियां या चिंता नहीं दिखाई गई है कि आरोपी सबूतों या गवाहों या अभियुक्त के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, इस तरह के चरित्र का है कि बड़े पैमाने पर उसकी उपस्थिति मात्र से गवाहों को डरा दिया जाएगा या आरोपी न्याय को नष्ट करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा।

6. प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता ने आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रखा है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक के न्याय से भागने या न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने या अपराधों को दोहराने या गवाहों को डराने आदि के रूप में अन्य परेशानियां पैदा करने का कोई भौतिक विवरण या परिस्थितियां नहीं दिखाई गई हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7ए। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति जिस पर आपराधिक अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में मुकदमा चलाने की आवश्यकता होती है। एक अभियुक्त का अति-निहितार्थ उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति को अपराध या गलत काम में अनुचित रूप से या अत्यधिक फंसाया जाता है। इस तरह के अधिक निहितार्थ बाहरी प्रभाव या झूठे आरोपों पर आधारित हो सकते हैं। न्याय वितरण प्रणाली के लिए अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के साथ अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि कानून का शासन प्रबल हो और एक अभियुक्त का अभियोजन विशिष्ट आरोपों के आधार पर सामग्री और परिस्थितियों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित हो।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को वर्तमान आदेश के प्रस्तर-1 में वर्णित अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत दी जाती है। आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदार के साथ 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा: -

(i) आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस कार्यालय द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस कार्यालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) यदि आवेदक आवासीय पता बदल देता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय/विवेचनाधिकारी को नए आवासीय पते के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।



(v) आवेदक जांच में सहयोग करेगा और जब कभी आवश्यक हो, स्वयं को पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा।

(vi) आवेदक पुलिस जांच में बाधा डालेगा या बाधित नहीं करेगा और पुलिस द्वारा एकत्र किए गए या अभी तक एकत्र किए गए सबूतों के साथ शरारत नहीं करेगा।

(vii) आवेदक कानून और व्यवस्था बनाए रखेगा।

(viii) आवेदक बांड के निष्पादन के समय, विवेचनाधिकारी और संबंधित न्यायालय को अपना पता और मोबाइल संख्या प्रस्तुत करेगा।

(ix) आवेदक मुकदमे के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, और उपरोक्त अपराधों के लिए विचारण पूरा करने के लिए न्यायालय के साथ सहयोग करेगा।

(x) संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक या उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति को वर्तमान आदेश के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार बलपूर्वक उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. किसी भी शर्त के चूक के मामले में, विवेचनाधिकारी आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. ऊपर दिए गए निर्देशों के साथ, अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

मार्च 30, 2026

भास्कर

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)